आदेश

04.06.2026

जमुई एस0सी0/एस0टी0 कांड संख्या–07/2026, (परिवाद 19सी/2026 से जनित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के अंतर्गत कांड अंकित करने हेतु एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड अंकित करने एवं अनुसंधान हेतु भेजा गया) जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 115(2), 352, 69, 351(2), 351(3), 90 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) से संबंधित है, के अभियुक्त **राहुल कुमार**, कथित उम्र 30 वर्ष, पिता राजकुमार माली, निवासी ग्राम–शादीपुर, थाना–कोतवाली, जिला–मुंगेर की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

परिवाद पत्र, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के अंतर्गत संबंधित पुलिस थाने को कांड अंकित करने एवं अनुसंधान हेतु भेजा गया, के अनुसार परिवादिनी सुजाता कुमारी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि परिवादिनी विशिष्ट ग्रहण संस्थान जमुई में आया के पद पर कार्यरत थी। उसी कार्यालय में अभियुक्त राहुल कुमार काम करता था, जो अभी वर्तमान में वृद्धाआश्रम गृह, चकाई में कार्यरत है। एक ही जगह कार्यरत रहने के कारण अभियुक्त ने परिवादिनी से मोबाईल नम्बर लिया और काफी समय तक घर परिवार की बातचीत करता था। मोबाईल नम्बर 7050869062 से उसका मोबाईल नम्बर 9798114039 पर व्हाटस्प के माध्यम से कॉल करके धमकी देने लगा कि ''मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ''। इस पर परिवादिनी ने कहा कि वह शादी–शुदा एवं बाल बच्चेदार महिला है। वह उससे शादी कभी नहीं करेगी तो इस पर अभियुक्त राहुल कुमार ने गमछा को गला में फंसा कर आत्महत्या करके पूरा परिवार को हत्या के केश में फंसाने की धमकी देने लगा तो इस पर परिवादिनी डर गयी। इस धमकी से परिवादिनी काफी भयभीत हो गयी और राहुल ने उसे (परिवादिनी को) नशीली दवा खिला दी और खुद सेक्स की गोली खाकर कई बार राहुल ने उससे बलात्कार किया और परिवादिनी अपने परिवार को खतरा में देखते हुए कुछ भी नहीं बोल पाती थी। अंतिम बार दिनांक 25.12.2026 को अभियुक्त उसे पटना ले गया और अभियुक्त ने सेक्स की गोली खायी। इस बार उसके पास पिस्तौल भी था। अभियुक्त राहुल कुमार परिवादिनी का कपड़ा उतारने लगा। जब परिवादिनी ने शरीर से कपड़ा उतारने से मना किया तो बोला कि कपड़ा उतारने दो नहीं तो भोसड़ी, चमैइन पिस्तौल से छल्ली करके लाश गायब कर देगें और जबरदस्ती शरीर से कपड़ा उतार दिया। पैखाना के रास्ते में 7 से 8 बार रात में बलात्कार किया, इस तरह योनी और पैखाना के रास्ते में

जबरदस्ती बलात्कार करने से परिवादिनी की तबियत काफी खराब हो गई, वह किसी तरह जमुई आयी। तब लाचार होकर उक्त सारी घटना की जानकारी उसने अपने पति एवं गवाहन को दी तब परिवादिनी के पति ने उसका ईलाज करवाया। परिवाद पत्र में परिवादिनी ने आगे कथन किया है कि उसके पति से, जो उसके गर्भ में बच्चा था वह भी गलत तरीके से बलात्कार करके से गिर गया। परिवादिनी ने अपने पति के साथ डरे सहमे इन सारी घटना की सूचना दिनांक 02.02.2026 को थानाध्यक्ष जमुई को दिया तो बड़ा बाबू ने कहा कि महिला थाना जाकर आवेदन दो तथा आवेदन नहीं लिया। पुनः बड़ा बाबू के कथनानुसार परिवादिनी ने महिला थाना, जमुई गयी लेकिन महिला थाना ने भी परिवादिनी का मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर परिवादिनी ने बजरिए निबंधन एवं खुद आरक्षी अधीक्षक कार्यालय जमुई दिनांक 03.02.2026 को जमुई में आरक्षी अधीक्षक को सूचना दिया फिर भी परिवादिनी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो थक हारकर परिवादिनी ने देर से न्यायालय में नालिश दाखिल किया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। परिवादिनी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है केवल पैसे की वसुली के लिए किया गया है। आवेदक एवं परिवादिनी दोनों एक ही संस्थान में काम करते है और परिवादिनी का आवेदक से अच्छा संबंध बन गया और कई मौके पर परिवादिनी ने आवेदक से भारी रकम ली और जब आवेदक अभियुक्त ने आगे रकम देने से इंकार किया तो परिवादिनी ने आवेदक अभियुक्त पर यह झूठा मुकदमा कर दिया। जमानत आवेदन के अनुसार परिवादिनी ने अपने पति एवं तीन संतानों को छोड़ दिया तथा सूचिका एवं उसके पति ने इस आशय का दिनांक–14.05.2025 को एक बांड (Bond) बनाया था, जिसमें परिवादिनी ने कहा है कि वह अपने पति को छोड़कर राहुल कुमार आवेदक अभियुक्त के साथ रहने जा रही है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उनका कथन है कि लगा आरोप गम्भीर है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये अग्रिम जमानत आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है।

मैंने अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी सुजाता कमारी ने न्यायालय में एक परिवाद पत्र दाखिल किया था। यह आपराधिक परिवाद 19सी/2026 एस0सी0/एस0टी0 थाना जमुई कांड अंकित करने एवं अनुसंधान हेतु भेजा गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 115(2), 352, 69, 351(2), 351(3), 90 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए कांड अंकित कर मामले में अनुसंधान प्रारंभ किया। कांड दैनिकी के पैरा 2 में वादिनी सुजाता कुमारी का पुनः बयान दर्ज है। अपने पुनः बयान में वादिनी ने अपने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए साररूप से कथन किया है कि वह एवं अभियुक्त एक ही कार्यालय में काम करते थे। आवेदक अभियुक्त उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया एवं अप्राकृति यौन संबंध बनाया, जिससे उसके पति का बच्चा, जो पेट के बल चलता था, गिर गया। कांड दैनिकी के पैरा–3 एवं 4 में वादिनी के पति नन्दलाल रविदास एवं देवर रविन्द्र कुमार का बयान दर्ज है। इन दोनों ने भी अपने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा–17 में वादिनी का जाति प्रमाण पत्र है। मेरे विचार से लगा आरोप गंभीर है तथा मैं विद्वान अपर लोक अभियोजक के इस तर्क से भी सहमत हूँ कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 18 के अन्तर्गत इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के मामले में अग्रिम जमानत का आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है। मेरे विचार से इस अधिनियम की धारा 18 को ध्यान में रखते हुए, आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करना विधि सम्मत नहीं है। अतः यह अग्रिम जमातन आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
जमुई।

प्रति–विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जमुई को आवश्यक सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
जमुई।